II

आवश्यक
नगरपालिका आम चुनाव, 2022

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - न.नि. 50-24/2022 - 4422

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक - 24/9/2022

विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के निमित्त दो या दो से अधिक जीवित संतान हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 920 दिनांक 24.09.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा यदि किसी महिला को 2014 में एक संतान का जन्म हुआ हो और 2017 में उसे जुड़वा संतान का जन्म हुआ हो तो इस स्थिति में उस महिला को कुल दो संतान माना जाय या तीन संतान के संबंध में मार्गदर्शन की माँग की गई है।

प्रासंगिक पत्र के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी महिला को 2014 में एक संतान का जन्म हुआ हो और 2017 में उसे जुड़वा संतान का जन्म हुआ हो तो इस स्थिति में उस महिला को कुल दो संतान होने की मान्यता दी जायेगी।

उक्त सन्दर्भ में आयोग के पत्रांक 3839 दिनांक 13.09.2022 द्वारा पूर्व में भी स्पष्ट निदेश दिये गये हैं।

अनुरोध है कि उक्त तथ्य से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

24/9/22

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 - 4422 पटना, दिनांक - 24/9/2022

प्रतिलिपि प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

24/9/22

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 - 4422 पटना, दिनांक - 24/9/2022

प्रतिलिपि सभी निर्वाचन प्रेक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/22

सचिव।

24.9.22

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 – 4422 पटना, दिनांक – 24.09.2022

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) (पूर्णियाँ को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 – 4422 पटना, दिनांक – 24.02.2022

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।